

कलाम ट्रांसमिशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ए-५२/६ जी/एफ अली एक्स. बदरपुर, नई दिल्ली-११००४४
सीआईएन नं. U40106DL2020GOI364104

विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा १५ की उप-धारा (२) के अंतर्गत

१. कलाम ट्रांसमिशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-५२/६ जी/एफ अली एक्स. बदरपुर, नई दिल्ली-११००४४ में है और पत्राचार का पता यूनिट नं. १०१, प्रथम तल, विन्डसर, विलेज कोलेकल्याण, ऑफ सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रूज (ईस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र-४०००९८ में है और जिसका गठन कंपनी अधिनियम, १९५६ के अंतर्गत किया गया है, ने विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा १४, १५, ७९(१)(ई) के साथ पठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, नियम व शर्तें और अन्य संबंधित मामले) विनियम, २००९ के अंतर्गत रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म (आरटीएम) के माध्यम से निर्मित की जाने वाली ट्रांसमिशन परियोजना के लिए कलाम ट्रांसमिशन लिमिटेड हेतु ट्रांसमिशन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सबस्टेशन का नाम (स्थान) (ट्रांसमिशन स्कीम का स्कोप)	क्षमता	सीटीयूआईएल द्वारा अनुमानित लागत	कमीशनिंग समय-सारणी
१	आरई इंटरकनेक्शन के लिए २२०केवी वोल्ट के साथ कलाम पीएस में ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का २x५०० एमवीए, ४००/२२०केवी आईसीटी (तीसरा एवं चौथा) तक विस्तार	१. कलाम पूर्लिंग स्टेशन का २x५०० एमवीए तक विस्तार ५०० एमवीए, ४००/२२०केवी आईसीटी: २ नग ४०० केवी आईसीटी बेज : २ नग ४००/२२० केवी आईसीटी २२० केवी आईसीटी बेज: २ नग २. आरई इंटरकनेक्शन के लिए ३ नग २२० केवी लाइन बेज २२० केवी लाइन बेज : ३ नग ३. कलाम पीएस में १x१२५ एमवीएआर बस रिएक्टर (दूसरा) १२५ एमवीएआर, ४२० केवी बस रिएक्टर-१ - बस रिएक्टर बे : १ नग	सीटीयू अनुमान के अनुसार रु. १५६.८९ करोड़ (प्राइस लेवल, २०२२)	ट्रांसमिशन पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा परियोजना प्रदान करने की तिथि अर्थात १५.११.२०२२ से १८ माह

२. आयोग के समक्ष दाखिल किये गये पूर्ण आवेदन एवं अन्य दस्तावेज वेबसाइट <https://www.indigrid.co.in/documents-manager/> पर उपलब्ध है और इसे कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय यूनिट नं. १०१, प्रथम तल, विन्डसर, विलेज कोलेकल्याण, ऑफ सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रूज (ईस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र-४०००९८ में श्री पिकेश कुमार या आयोग द्वारा विनिर्देशित प्रक्रिया के अनुसार आयोग के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

३. किसी व्यक्ति द्वारा सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, आवेदक को उसके कारपोरेट कार्यालय के पते पर एक प्रति सहित, सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोको बिल्डिंग, ३६, जनपथ, नई दिल्ली-११० ००१ को इस सूचना के प्रकाशन के ३० दिनों के अंदर प्रस्तुत किये जा सकते हैं।